(भारत के राजपत्र असाधारण के भाग-I, खंड-I में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार

विधि और न्याय मंत्रालय

न्याय विभाग

****

नई दिल्ली, 16 नवंबर, 2017

<u>संकल्प</u>

संख्या-19018/01/2017-न्याय उच्चतम न्यायालय ने 1989 की रिट याचिका संख्या 1022 में 1992 की पुनरीक्षा याचिका संख्या 249 में 24-08-1993 को दिए गए अपने निर्णय द्वारा दिए गए एक निदेश के अनुपालन में राज्यों और संघशासित क्षेत्रों में न्यायिक अधिकारियों की परिलब्धियों और सेवा शर्तों के मौजूदा ढांचे की जांच करने के लिए उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश, न्यायमूर्ति के जगन्नाथ शेट्टी की अध्यक्षता के तहत 21-03-1996 को पहला राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग (एफ़एनजेपीसी) गठित किया था । इस आयोग ने 11-11-1999 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की ।

2. तदन्तर, छठवें वेतन आयोग के कार्यान्वयन के फलस्वरूप अखिल भारत न्यायाधीश संघ ने शेट्टी कमीशन रिपोर्ट के आधार पर देशभर की अधीनस्थ न्यायपालिका के न्यायिक अधिकारियों के वेतन, भत्तों के संशोधन के लिए उच्चतम न्यायालय में उपर्युक्त याचिका में एक आईए (संख्या 244, 2009) दायर की । उच्चतम न्यायालय ने न्यायिक अधिकारियों के वेतनमानों और भत्तों तथा अन्य परिलब्धियों के संबंध में न्यायाधीश शेट्टी आयोग द्वारा पहले से ही की गई सिफ़ारिशों को ध्यान में रखते हुए उचित सिफ़ारिशें करने के लिए उच्च न्यायालय के एक सेवानिवृत न्यायाधीश, न्यायमूर्ति ई. पद्मानभन को एक सदस्यीय समिति के रूप में नियुक्त किया । इस समिति ने जुलाई, 2009 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसे संघ शासित क्षेत्रों में न्यायिक अधिकारियों के संबंध में केंद्र सरकार द्वारा कार्यान्वित किया गया था ।

3. अब भारत के उच्चतम न्यायालय ने अखिल भारत न्यायाधीश संघ बनाम भारत संघ व अन्य द्वारा दायर रिट याचिका संख्या 643/2015 में 09 मई, 2017 के अपने आदेश द्वारा निदेश दिया है कि भारत में अधीनस्थ न्यायपालिका के न्यायिक अधिकारियों के वेतनमानों, परिलब्धियों और सेवा-शर्तों की पुनरीक्षा करने के लिए एक न्यायिक वेतन आयोग का गठन किया जाए ।

4. उच्चतम न्यायालय के उपर्युक्त निदेश के अनुपालन में यह निर्णय लिया गया है कि एक नया राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग, जो कि दूसरा राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग के नाम से जाना जाएगा, नियुक्त किया जाए, जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे:-

(i) अध्यक्ष - श्री न्यायमूर्ति (सेवानिवृत) पी. वेंकटरामा रेड्डी, भारत के उच्चतम न्यायालय के भूतपूर्व न्यायाधीश ।

(ii) सदस्य - श्री न्यायमूर्ति (सेवानिवृत) आर. बसंत, केरल उच्च न्यायालय के भूतपूर्व न्यायाधीश और भारत के उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता ।

(iii) सदस्य-सचिव - आयोग द्वारा चुना जाएगा जो अधिमानतया कार्यरत अथवा सेवानिवृत न्यायिक अधिकारी होगा । यदि आयोग किसी राज्य के सेवारत न्यायिक अधिकारी को चुनने का निर्णय लेता है तो संबंधित उच्च न्यायालय और संबंधित राज्य इस प्रकार के अधिकारी की सेवाओं को उपलब्ध कराएंगे और इस प्रकार के अधिकारी को आयोग में प्रतिनियुक्ति पर माना जाएगा ।

5. भारत के उच्चतम न्यायालय के निर्देश के अनुपालन में विधि कार्य विभाग, विधि और न्याय मंत्रालय द्वारा इस आयोग की सहायता के लिए इसके एक अतिरिक्त महा न्यायभिकर्त्तों की सेवाओं को उपलब्ध करना होगा ।

6. यह आयोग कार्य को पूरा करने के उद्देश्य के लिए आवश्यक कार्मिकों सहित ढांचागत समर्थन की इसकी आवश्यकताओं को यदि कोई हो विधि और न्याय मंत्रालय (न्याय विभाग) को इंगित करेगा ।

7. इस आयोग की संदर्भ शर्तें निम्नलिखित प्रकार से होंगी:-

क. ऐसे सिद्धांतों को विकसित करना जो देशभर में अधीनस्थ न्यायपालिका से संबधित रखने वाले न्यायिक अधिकारियों के वेतन और अन्य परिलब्धियों के ढांचे को शासित करे ।

ख. राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों में न्यायिक अधिकारियों को उन्हें उपलब्ध उन समस्त लाभों को ध्यान में रखते हुए उन्हें मिलने वाली परिलब्धियों और उनकी सेवा-शर्तों के मौजूदा ढांचे की जांच करना और अन्य संगत कारकों को मद्देनजर रखते हुए पेंशन आदि जैसे सेवानिवृति के लाभों सहित अन्य सिविल सर्वेण्ट की तुलना में अधीनस्थ न्यायिक सेवा से संबंधित अधिकारियों के बीच वेतन ढांचे में मौजूदा तुलनात्मकता के लिए और इस संबंध में शिकायतों का निपटान करने के लिए तंत्र बनाने के लिए उचित सिफ़ारिशें करना ।

ग. कार्य की पद्धति और कार्य के वातावरण तथा और वस्तु के रूप में वे विभिन्न भत्ते और लाभ जो न्यायिक अधिकारियों को वेतन के अलावा प्राप्त होते हैं, की जांच करना और न्यायपालिका के आकार को इष्टतम करते हुए न्यायिक प्रशासन

में दक्षता संवर्धन को ध्यान में रखते हुए उनका औचित्यकरण और सरलीकरण करने के लिए सुझाव देना और पिछली सिफ़ारिशों के कार्यान्वयन में सृजित असंगतताओं को दूर करना ।

घ. इस प्रकार की अन्तरिम राहत पर विचार व सिफ़ारिश करना जो वह राज्यों / संघ शासित क्षेत्रों के न्यायिक अधिकारियों की सभी श्रेणियों के लिए न्याय संगत और उचित समझे । यह अन्तरिम राहत, यदि इसकी सिफ़ारिश की जाती है, तो इसे उस पैकेज के प्रति पूरी तरह समायोजित व उसमें शामिल किया जाना होगा जो इस आयोग की अंतिम सिफ़ारिशों पर न्यायिक अधिकारियों को देय हो सके ।

ङ. अधीनस्थ न्यायपालिका की सदस्यों के वेतन और सेवा-शर्तों की एक स्वतंत्र आयोग, जो विशेषरूप से इस उद्देश्य के लिए गठित हुआ हो, द्वारा आवधिकरूप से समीक्षा के लिए एक स्थायी तंत्र स्थापित करने के लिए तंत्र की सिफ़ारिश करना और इस प्रकार के आयोग की संरचना में न्यायपालिका की ओर से पर्याप्त प्रतिनिधित्व परिलक्षित होना चाहिए ।

8. इस कार्य को प्राप्त करने के लिए यह आयोग अपनी स्वयं की प्रक्रियाओं को विकसित करेगा और आवश्यक पद्धतियाँ बनाएगा । यह इस प्रकार के सलाहकारों, संस्थागत परामर्शदाताओं और विशेषज्ञों को नियुक्त कर सकता है जो वह किसी विशेष उद्देश्य के लिए आवश्यक समझे । सभी राज्य सरकारें, संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासन और केंद्र सरकार के मंत्रालय / विभाग इस आयोग द्वारा यथापोक्षित सूचना, दस्तावेज़ और अन्य सहायता देंगे ।

9. यह आयोग, राज्य सरकारों को अपनी सिफ़ारिशें देगा और भारत के उच्चतम न्यायालय और विधि एवं न्याय मंत्रालय को अधिमानतया 18 महीनों की एक समयावधि के अंतर्गत इसकी प्रति प्रस्तुत करेगा । यह, सिफ़ारिशों को अंतिम रूप दिए जाने पर किसी भी मामले के बारे में रिपोर्ट भेजने की बात पर, यदि आवश्यक समझे, विचार कर सकता है ।

आदेश दिया जाता है इस संकल्प को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए ।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति भारत सरकार के मंत्रालयों / विभागों / राज्य सरकारों / संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों एवं अन्य जो भी संबंधित हों, को भेजी जाए ।

(डॉ. आलोक श्रीवास्तव)
सचिव, भारत सरकार